राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

क्रमांक– परीक्षा 6–अ/2025/974-82 दिनांकः 10.7.25

अत्यावश्यक

समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्राचार्य/प्राचार्या
विभाग/केन्द्र/संघटक/सम्बद्ध/स्वायत्तशासी (Autonomus) महाविद्यालय
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर।

विषयः– राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय एवं निजी/स्वायत्तशासी (Autonomus) महाविद्यालयों के लिए जारी प्रवेश नीति सत्र 2025–26 बाबत्।

संदर्भः– आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांकः एफ 7(4) प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2025–19470–6757218 दिनांक 02–06–2025

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा राजकीय एवं निजी/स्वायत्तशासी (Autonomus) महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए प्रवेश नीति वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवा दी गई है। अतः शैक्षणिक सत्र 2025–26 में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति 2025–26 तथा विश्वविद्यालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार सभी नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों की योग्यता/पात्रता की जाँच किये जाने के पश्चात ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करे।

1. शैक्षणिक सत्र 2025–26 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के परीक्षा फार्म भरने से पूर्व महाविद्यालय/वि0वि0 विभाग स्तर पर नियत तिथि तक प्रवेशित विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण (CSV File Upload) करना अनिवार्य है। उक्त फाइल में प्रवेशित विद्यार्थी की सूचना अर्हकारी परीक्षा के आधार पर 10वीं/12वीं/स्नातक की अंकतालिकाओं में उल्लेखित अंग्रेजी नाम के अनुसार ही भरना आवश्यक है, जिसकी **अंतिम समयावधि दिनांक 15–08–2025 तक रहेगी।** CSV File अपलोड नहीं किये जाने पर नामांकन/परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक D.O. No. F. 1-50/2021 (ABC/NAD) दिनांक 21.02.2023 में दिये गए दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रत्येक छात्र/छात्रा को वेबसाइट www.abc.gov.in पर अपनी ABC ID विद्यार्थियों द्वारा आधार संख्या व उससे लिंक किये हुए मोबाईल न0 से Generate की जावेगी तथा छात्र/छात्रा द्वारा तैयार ABC ID को प्रवेश/परीक्षा फॉर्म में अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। ABC ID के अभाव में विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन व परीक्षा फॉर्म भरा जाना सम्भव नहीं होगा। **अतः महाविद्यालय द्वारा सभी विद्यार्थियों को निर्देशित कर दिनांक 15–08–2025 तक पंजीयन की कार्यवाही सुनिश्चित करें।**

3. ABC ID में पंजीकरण से पूर्व विद्यार्थी के आधार कार्ड में अंकित नाम को अर्हकारी परीक्षा (यथा 10वीं/12वी/स्नातक) की अंकतालिकाओं से मिलान करे तथा परिवर्तन/संशोधन होने पर आधार कार्ड को शैक्षणिक दस्तावेजों के अनुसार संशोधित कर ABC ID के लिये आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों को निर्देशित करें।

4. राजस्थान विश्वविद्यालय के समस्त विभागों, केन्द्रों एवं संघटक महाविद्यालयों में सत्र 2025–26 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय विवरणिका (Prospectus) 2025–26 में उल्लेखित नियमानुसार होगी।

5. सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य राज्य सरकार की प्रवेश नीति 2025–26 के अनुसार प्रवेश शर्तों की पालना सुनिश्चित करें। विस्तृत सूचना हेतु वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।

6. BA/B.Sc./B.Com./B.Sc.Bio-Tech./B.Sc.(Home Sc.)/BBA/BCA/ BVA/B.Mus. (Semester-I according to NEP) में विद्यार्थियों को प्रवेश उनके द्वारा उत्तीर्ण [illegible]वीं/सीनियर सैकेण्डरी का शिक्षा बोर्ड, "Board of Secondary Education Rajasthan, Ajmer & Council of Boards of School Education in India, Delhi से मान्यता प्राप्त होने पर ही प्रवेश प्रदान करे। मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्डो की सूची का वेबसाईट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in & www.cobse.org.in पर अवलोकन करें।

7. स्नातकोत्तर/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों की समकक्षता जो शैक्षणिक अनुभाग–प्रथम द्वारा अधिसूचना संख्या–26 दिनांक 18–0[illegible]–2024 के अन्तर्गत निम्नानुसार जारी की गई है, तदनुसार प्रवेशित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा की समकक्षता की जाँच महाविद्यालय स्तर पर किया जाना अनिवार्य है।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

All the UG/PG/Diploma/Certificate **Academic & Professional** courses of the under mentioned Universities/Institutions have been **recognized as equivalent** to the respective courses being run by the University subject to the **provision of the forgoing** regulation 44-D :-

Universities/Institutions	Courses to be announced as recognized/equivalent
All the Central & State level Universities	All the UG, PG Academic & Professional Degree, Diploma and Certificate courses.
Institutions of National importance	All the UG, PG Academic & Professional Degree, Diploma and Certificate courses.
All the Central/State/Deemed/Private Universities which offer various courses under distance education system as per approval/recognition of distance Education Bureau of UGC, New Delhi.	All the UG, PG Academic & Professional Degree, Diploma and Certificate courses under distance education system. N.B.- Course-wise equivalence shall be revised time to time in case the UGC so revises/amends the same in future.
All the Deemed Universities running in various States of India under approval of the UGC.	All such UG, PG Academic & Professional Degree, Diploma and Certificate courses, which are approved by UGC, New Delhi.
All the Private Universities approved by the UGC.	All such UG, PG Academic & Professional Degree, Diploma and Certificate courses, which are approved by UGC, New Delhi.
All Universities/Institutions like BCI/AICTE/NCTE/MHRD & other national Government Institutions.	All such UG, PG Academic & Professional Degree, Diploma and Certificate courses, which are approved by BCI/ AICTE/NCTE/MHRD, New Delhi.

8. प्रवेश नीति में वर्णित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को प्रवेश राजस्थान विश्वविद्यालय की विवरणिका (Prospectus) 2025–26 में निर्धारित की गई योग्यता के अनुसार दिया जावे।

9. नियमानुसार समस्त पाठ्यक्रमों (यथा स्नातक/स्नातकोत्तर/व्यावसायिक के सभी सकायों में) प्रवेशित सभी विद्यार्थियों की समस्त जानकारी का C.S.V. File में प्रवेशित छात्र का नाम, माता व पिता का नाम व जन्म तिथि व अन्य आवश्यक सूचना छात्र अर्हकारी परीक्षा यथा (10वीं व 12वीं की अंकतालिका के अनुसार केवल अंग्रेजी शब्द ही मान्य होगे) भर कर महाविद्यालय/विभाग के पोर्टल पर अपलोड़ की जानी है। विगत वर्षो में यह जानकारी में आया है कि महाविद्यालय/विभाग द्वारा C.S.V. File में प्रवेशित विद्यार्थी के नाम, माता व पिता के नाम एवं जन्म तिथि की सूचना गलत अंकित करने की गंभीर लापरवाही पायी गयी, जिसके लिये विद्यार्थी एवं विश्वविद्यालय कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः परीक्षा प्लानिंग एवं मॉनिटरिंग समिति की अनुशंसा संख्या 05 दिनांक 23–09–2021 एवं अनुशंसा संख्या 04 दिनांक 05–06–2024 की अनुपालना में C.S.V. File में अपलोड की गयी जानकारी में संशोधन के लिये महाविद्यालय पर रूपये 20,000/– एवं रूपये 5,000/– प्रति विद्यार्थी शुल्क अधिरोपित होगा।

10. ABC ID प्राप्त होने पर विद्यार्थियों द्वारा नामांकन/पात्रता आवेदन पत्र विश्वविद्यालय वेबसाईट के माध्यम से भरा जायेगा। नामांकन/पात्रता आवेदन पत्र के साथ 10वीं, 12वीं व स्नातक की सभी अंकतालिकाओं की प्रति व मूल प्रवजन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही महाविद्यालय को आवंटित पोर्टल पर ऑनलाईन सत्यापित कर NR Report को प्रिन्ट कर नामांकन/पात्रता आवेदन पत्रो के साथ नियत तिथि तक आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में नामांकन शाखा (कमरा न0 118) में जमा कराया जावेगा। अंकतालिकाओं की प्रति व मूल प्रवजन प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना पोर्टल पर सत्यापित किये जाने पर महाविद्यालय/विभाग की गम्भीर लापरवाही मानी जावेगी। इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही के लिये विभाग/केन्द्र/महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा।

11. स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर (वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति) के छात्रों के नामांकन एवं पात्रता आवेदन पत्रों के साथ 10वीं/12वी., स्नातक परीक्षा की अंकतालिकाओं की फोटोस्टेट प्रतिलिपि एवं मूल प्रवजन प्रमाण–पत्र (Original Migration Certificate) संलग्न कर निर्धारित शुल्क सहित ऑनलाईन भरे गये नामांकन/पात्रता

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर नियत तिथि तक आवश्यक रूप से प्रेषित करें, अन्यथा छात्रों का नामांकन नहीं किया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। शुल्क का विवरण निम्न प्रकार हैं –

ENROLLMENT AND ELIGIBILITY FEES		
S.No.	Enrollment Fee & Eligibility Fee	Fee for Session 2025-26
1.	Enrollment Fee	410/-
2.	Eligibility Fee (For those candidates who have passed their qualifying exam. from other than the Board of Secondary Education Rajasthan)	410/-
LATE FEE OF ENROLLMENT FOR THE SESSION 2025-26		
S. No.	Particular	Fee for Session 2025-26
1.	without late fee of enrollment up to November	Nil
2.	With late fee of enrollment up to December	210/-
3.	With late fee of enrollment up to March	370/-
4.	Enrolment Fee after commencement of Exam	720/-

12. विधि संकाय में छात्रों को प्रवेश 10+2+3 की पद्धति एवं बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के तथा शिक्षा संकाय में AICTE/ NCTE/ PTET/University के नियमानुसार दिया जावे तथा 10वीं/12वी., स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा की अंकतालिकाओं व SC-ST/OBC/SBC व अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की फोटोस्टेट प्रतिलिपि एवं मूल प्रवजन प्रमाण–पत्र (Original Migration Certificate) संलग्न कर निर्धारित शुल्क सहित ऑनलाईन भरे गये नामांकन/पात्रता आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करें अन्यथा छात्रों का नामांकन नहीं किया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
13. जिन कोर्सेज में छात्रों का प्रवेश, पूर्व परीक्षा (Entrance Test) के आधार पर होता है, उनकी समन्वयक द्वारा जारी वरीयता सूची की छांयाप्रति भी नामांकन एवं पात्रता फार्मों के साथ भिजवायें।
14. विद्यार्थियों का प्रवेश राजस्थान विश्वविद्यालय के नियमों/निर्देशों एवं समकक्षता नियमों के अनुरूप प्रदान किया जावें। यदि नियमों/निर्देशों का उल्लंघन हुआ और विश्वविद्यालय द्वारा छात्र/छात्रा का आवेदन निरस्त किया जाता है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।
15. राजस्थान विश्वविद्यालय से सत्र 2025–26 की सम्बद्धता प्राप्त होने पर ही छात्रों को प्रवेश प्रदान किया जावें। नामांकन/पात्रता आवेदन पत्रों के साथ सम्बद्धता पत्र की छांया प्रति भी अनिवार्य रूप से संलग्न करें तथा विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित सीटों से अधिक छात्रों को प्रवेश प्रदान नही किये जावें तथा विश्वविद्यालय ने जिन विषयों/पाठ्यक्रमों को संचालित करने की मान्यता प्रदान की है, की जॉच कर ही प्रवेश दिया जावे। इस संबंध में प्राचार्य की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
16. विदेशी बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश देने से पूर्व अधिष्ठाता छात्र कल्याण (DSW), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है। साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से समकक्षता प्रमाण–पत्र जारी होना भी आवश्यक है।
17. NEP के अन्तर्गत विभाग/केन्द्र/महाविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थी का सात वर्षो तक समस्त रिकार्ड रखना अनिवार्य एवं आवश्यक है।
18. नियमों का उल्लंघन करने व कानूनी कार्यवाही होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।
19. क्र.सं. 1 से 17 तक में विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये किसी भी निर्देशों का उल्लंघन होने पर आपके विभाग/केन्द्र/महाविद्यालय के विरूद्ध माननीय कुलगुरू महोदय के आदेश दिनांक 01.12.2014 एवं परीक्षा प्लानिंग एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक दिनांक 03–06–2022 व बैठक दिनांक 07–09–2022 के निर्णय संख्या–08 की अनुपालना में अतिरिक्त शुल्क पेनल्टी रूपये 50,000/– प्रति पाठ्यक्रम अधिरोपित या सम्बद्धता विच्छेद की कार्यवाही की जावेगी।
20. किसी भी प्रकरण में कानूनी विवाद उत्पन्न होने पर क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित न्यायालय होगा।

नोट :–

1. किसी भी छात्र/छात्राओं को नाम/उपनाम परिवर्तन होने की स्थिति में नामांकन आवेदन पत्रों को राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यादेश 96–ए के तहत (अधिसूचना संख्या 28 में) वर्णित सभी दस्तावेजों के साथ संलग्न कर पृथक से प्रेषित किया जाये।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

---

2. डिजिटल लॉकर एवं ई–मेल/नेट आधारित प्रवजन प्रमाण–पत्र नामांकन हेतु इस आशय/शर्त के साथ मान्य/स्वीकार किया जाता है कि सम्बन्धित छात्र/छात्रा द्वारा रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पेपर पर इनके मूल रूप में होने तथा विश्वविद्यालय से अन्यत्र किसी संस्थान में प्रवेश न लिया हो, बाबत् शपथ पत्र (Undertaking) उक्त प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक– परीक्षा 6–अ/2025/983–91 दिनांक: 18/7/25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर।
2. सहायक कुलसचिव, शैक्षणिक–द्वितीय, को प्रेषित कर लेख है कि सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की सूची मय विषय/संकायवार छात्र संख्या सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म को उपलब्ध कराने का श्रम करें।
3. निजी सचिव, माननीया कुलगुरू/कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. मैसर्स, सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र में जारी दिशा–निर्देश एवं शैक्षणिक अनुभाग–द्वितीय से प्राप्त सम्बद्धता सूची अनुसार विषय एवं सीटों का निर्धारण सम्बन्धित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

सहायक कुलसचिव (नामांकन शाखा)